

राजस्थान सरकार

उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर 335
 (पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/केम्प कोर्ट) कैम्प 5051मी

-: आदेश :-

पार्श्व के "खाता दुरुस्तो" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी 3051मी व भू.अ.नि. 5051मी
 की रिपोर्ट तथा तहसीलदार 335 /नायब तहसीलदार की अनुमति के आधार
 पर राजस्थान भू. राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम देवापुरा तहसील 335 व
 जिला 335 को जमाबन्दी सम्वत् 2074-2077 में खाता संख्या में वर्तमान में
 दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते है:-

क्र.सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	देवापुरा	57	रामदास पट्टी कुराना	रामदास पट्टी कुराना
		107	कलाली पट्टी सुराना	कलाली पट्टी सुराना

(36)
 पीठासीन अधिकारी
 प्रभारी अधिकारी
 लोक अदालत
 पंचायत समिति
 उपखण्ड अधिकारी एवं
 पदेन सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी, देवापुरा

क्रमांक :- 94

दिनांक :- 01/01/22

प्रतिनिधि :-

1. तहसीलदार 335 को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवाये।
2. प्रार्थी श्री को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली।

(36)
 पीठासीन अधिकारी
 प्रभारी अधिकारी
 लोक अदालत
 उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर
 उपखण्ड अधिकारी, देवापुरा